

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

फोन नं.- 20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर.
क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/36774 जयपुर दिनांक 1/3/19

संशोधित विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के तहत बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 30357 दिनांक 24.01.19 एवं किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 30191 दिनांक 24.01.19 द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन पत्र संशोधन विज्ञप्ति क्रमांक 32862 दिनांक 11.02.2019 द्वारा दिनांक 28.02.19 तक बढ़ाई गयी थी। जिसमें पुनः संशोधन करते हुए उक्त विज्ञप्तियों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की दिनांक 15.03.2019 को सांय 5:00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

अधिक जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/> लिंक से प्राप्त की जा सकती है।

(निष्काम दिवाकर)

निदेशक एवं

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/36775-82 जयपुर दिनांक 1/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, समस्त।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
11. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु प्राप्त पृथक-पृथक कुल आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 15.03.2019 की सांय 6 बजे तक लिखित सूचना विभागीय ईमेल से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा पूर्व निर्देशानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर सभी आवेदकों के आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई) के माध्यम से दिनांक 22 मार्च, 2019 तक विशेष वाहक द्वारा विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक